न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प कोलीवाडा, तहसील सुमेरपुर
पीठासीन अधिकारीः– श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 62/2017
दायर तिथि– 17.08.2017
तारीख फैसला– 09.05.2018

वादीः–
1–शकरलाल पुत्र खीमाजी गहलोत आयु 63 वर्ष जाति माली निवासी भैरू चौक सुमेरपुर जिला पाली (राज.)।

ब ना म

प्रतिवादीगणः–
1–स्व. जोधाराम पुत्र सांकलीयाजी के कायम मुकाम वारिसानः–
1/1 भरतकुमार पुत्र स्व. जोधारामजी आयु बालिग
1/2 नारायणलाल पुत्र स्व. जोधारामजी आयु बालिग
1/3 श्रीमती पवनी पुत्री स्व. जोधारामजी आयु बालिग
1/4 श्रीमती बबली धर्मपत्नी स्व. जोधारामजी आयु बालिग
2– अम्बालाल पुत्र सांकलीयाजी आयु बालिग
3– कैलाशकुमार पुत्र सांकलीयाजी आयु बालिग
जातिगण लवार(लुहार) निवासीगण कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर जिला पाली(राज.)।
4–राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली(राज.)।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट, 1956

–:निर्णयः–

वाद पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

(1) वादी द्वारा यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के सरहद मौजा कोलीवाडा पटवार क्षेत्र कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा नं. 31 रकबा 0.3100 हैक्टर एवं खसरा नं0 32 रकबा 0.6000 हैक्टर कुल रकबा 0.9100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल आई हुई स्थित है। जो भूमि वादी द्वारा जरिये विक्रय विलेख के दिनांक 23.05.2000 को प्रतिवादी सं एक स्व. जोधाराम प्रतिवादी सं. दो अम्बालाल प्रतिवादी सं. तीन कैलाश कुमार पुत्रगण सांकलीयाजी एंव स्व. गोमती बेवा सांकलीयाजी से खरीद की हुई है। जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे भरत कुमार, नारायणलाल पि0 जोधाराम बबली पत्नी जोधाराम पवनी पुत्री जोधाराम अम्बालाल कैलाश कुमार पि. सांकलीयाजी के नाम खातेदारी दर्ज हैं।

(2) उक्त वर्तमान खसरा नं. 31 रकबा 0.3100 हैक्टर एवं खसरा नं0 32 रकबा 0.6000 हैक्टर कुल रकबा 0.9100 हैक्टर वादी को प्रतिवादी सं 1 लगाय 3 द्वारा बैचान दिनांक 02.06.2000 को कर दी थी एंव बैचान बाद से आज दिनांक तक कब्जा काश्त वादी का ही है। बैचान रजिस्ट्री 02.06.2000 को करवाने बाद से आज दिन तक वादी द्वारा उक्त कृषि भूमि का नामांतकरण दर्ज नहीं करवाया गया है। जोधाराम की मृत्यु होने से नामांतकरण सं 597 दिनांक 05.08.2010 के द्वारा जोधाराम के स्थान पर उसके कायम मुकाम वारिसान के नाम ना.करण दर्ज हो गया। जिससे बैचान दस्तावेज व रेकर्ड से मिलान नहीं होने से नामांतकरण दर्ज नहीं किया जा सकता।

(4) उक्त खसरा नं. 31 रकबा 0.3100 हैक्टर एवं खसरा नं0 32 रकबा 0.6000 हैक्टर कुल रकबा 0.9100 हैक्टर पर वादी का ही कब्जा काश्त है। तथा वादी शंकरलाल व प्रतिवादीगण भरत कुमार, नारायणलाल पि0 जोधाराम बबली पत्नी जोधाराम पवनी पुत्री जोधाराम जातिगण लवार(लुहार) निवासीगण कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर द्वारा आपसी सहमती जारी की है एवं निवेदन किया है कि मौके पर खरीददार शंकरलाल का ही कब्जा काश्त रहा है हमारे नाम से गलती से फौतदगी नामांतकरण दर्ज हुआ है। आप रजिस्ट्री के आधार पर नामांतकरण दर्ज करवाए जिसमें हमारी पूर्ण सहमती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया एंव तहसीलदार की रिपोर्ट एवं सहमती पत्र के आधार पर क्रेता श्री शंकरलाल जाति माली निवासी सुमेरपुर के नाम ग्राम कोलीवाडा में स्थित खसरा नं 31 रकबा 0.3100 हैक्टर एवं खसरा नं0 32 रकबा 0.6000 हैक्टर कुल रकबा 0.9100 हैक्टर का राजस्व रेकर्ड में नामांतकरण के जरिए अमल दरामद करने के निर्देश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **09.05.2018** को राजस्व लोक अदालत कोलीवाडा मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner